रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 1992/चैत्र 12, 1914
No. 154] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 1992/CHAITRA 12, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्,

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1992

सा.का.नि. 395(अ).—भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 31 के साथ पठित धारा 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पशु चिकित्सा व्यवसायियों के लिए वृत्तिक आचरण और शिष्टाचार का मानक तथा आचार संहिता) विनियम, 1992 है।

(2) वे तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:

(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "पशु चिकित्सक" से अधिनियम में परिभाषित रजिस्ट्रीकृत पशु-चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है।

(ख) "अधिनियम" से भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्, अधिनियम, 1984 (1984 का 52) अभिप्रेत है।

(ग) "विनियम" से वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता विनियम अभिप्रेत है। इस परिभाषा में दिया गया अर्थ उक्त विनियमों में प्रयुक्त पदों तक ही सीमित है।

(घ) "रोगी" से एकल पशु, पक्षी या उनका समूह अभिप्रेत होगा जिसका उपचार/प्रबन्ध किसी पशु चिकित्सक द्वारा किया जा रहा है या उपचार किए जाने/प्रबन्ध किए जाने की सलाह किसी पशु

चिकित्सक द्वारा दी जाती है। एक बार उपचार/सलाह के लिए कारण की तर्कसम्मत समाप्ति पर या विनियम सं. 16 के अधीन वर्णित शर्तों के अधीन यह अर्थ समाप्त हो जाएगा।

(ङ) "ग्राहक" से रोगी का विधिक स्वामी या उसका प्रतिनिधि या वह व्यक्ति या वे व्यक्ति या वे व्यक्ति अभिप्रेत है/हैं जिसे/जिन्हें रोगी की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से सौंपी गई है।

(च) "वृत्ति" से पशु चिकित्सा वृत्ति अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत उसकी सभी शाखाएं हैं, अर्थात् पशु स्वास्थ्य, पशु प्रजनन और प्रौद्योगिकी, तथा उसके अन्तर्गत कोई समान वृत्ति है जिसमें पशु चिकित्सा सेवा दी जाती है या मांगी जाती है या उसका उपयोग किया जाता है अर्थात् प्रयोगशाला पशु औषधि, पशु प्रयोग और वेक्सीन उत्पादन।

(छ) "रजिस्टर" से अभिनियम के अधीन रखा गया भारतीय पशु-चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर अभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और ऊपर पृथक् रूप से अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. घोषणा और शपथ:

पशु-चिकित्सा की वृत्ति में प्रविष्ट होने पर मैं अपने वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल का पशु-स्वास्थ्य संरक्षण, पशु-पीड़ा राहत, पशुधन संसाधनों के संरक्षण, लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और पशु-चिकित्सा विज्ञान में ज्ञान की उन्नति के माध्यम से समाज के फायदे के लिए उपयोग करने की सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लेता हूं।

मैं अपना व्यवसाय शुद्ध अन्तःकरण से गरिमापूर्वक और पशु-चिकित्सा आचार के सिद्धान्तों के अनुसार करूंगा।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि अपने वृत्तिक ज्ञान और सक्षमता में निरन्तर सुधार करना ऐसी बाध्यता है जो आजीवन बनी रहेगी।

साधारण सिद्धांत

4. पशु-चिकित्सक का चरित्र

पशु-चिकित्सा वृत्ति का प्राथमिक उद्देश्य बेहतर पशु-जनन, सुकर करके, पशु-चिकित्सा लोक स्वास्थ्य सुनिश्चित करके और रुग्ण पशुओं की देखभाल करके तथा उनकी पीड़ा कम करके मानवजाति की सेवा करना है, वित्तीय पारिश्रमिक सदैव गौण प्रतिफल है। जो कोई इस वृत्ति का चयन करता है वह मूक जीव-जन्तुओं की सेवा करने के उत्तम आदेशों के अनुसार आचरण करने की बाध्यता अपने ऊपर लेता है।

पशु-चिकित्सा ईमानदार व्यक्ति होगा और स्वण पशुओं की देखभाल करने तथा स्वस्थ पशुओं का प्रबंध करने में निष्कपट और तत्पर रहेगा। वह अपने कर्तव्यों के पालन में नम्र, शांत और उद्यत होगा/होगी।

वह अपनी वृत्ति में और अपने जीवन के सभी कार्यों में औचित्यपूर्ण आचरण करेगा/करेंगी।

5. चरित्र और नैतिकता के मानक:

पशु-चिकित्सा वृत्ति अपने सदस्यों से चरित्र और नैतिकता के उच्चतम स्तर की अपेक्षा करती है। प्रत्येक पशु-चिकित्सक का अपनी वृत्ति के प्रति और जनता के प्रति यह कर्तव्य है कि वह ऐसा स्तर प्राप्त करे। पशु-चिकित्सकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे वृत्तिक व्यवसाय के सभी मामलों में संयम बरतें और अपनी बुद्धि को स्पष्ट रूप से और पूरे मनोयोग से लगाए।

6. पशु चिकित्सकों का उत्तरदायित्व :

पशु-चिकित्सक अपने ग्राहकों के पशुओं की धर्मनिष्ठा से पूर्ण सेवा करके स्वयं को उनके विश्वास और भरोसे के योग्य सिद्ध करेगा। इन उच्च आदर्शों से यह विविक्षित है कि पशु-चिकित्सा व्यवसायी का उत्तरदायित्व केवल एक ग्राहक और उसके द्वारा लाए गए पशुओं के प्रति ही सीमित नहीं है अपितु संपूर्ण समाज के प्रति भी है।

7. विज्ञापन :

समाचारपत्रों, परिपत्र कार्डों, प्लेकार्डों या परचों में अपने आपको वरिष्ठता की उस कोटि का दिखा कर जो उसने प्राप्त नहीं की है, ग्राहकों की प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः याचना करना सदाचार के विरुद्ध है।

किसी भी पशु-चिकित्सक को किसी भी रूप या रीति में विज्ञापन या सामान्य प्रणालियों के माध्यम से प्रचार के विषय के रूप में अपने नाम का उपयोग नहीं करना चाहिए या अन्य व्यक्तियों को उपयोग नहीं करने देना चाहिए जो इस प्रकार का हो जिससे उसके प्रति या उसकी वृत्तिक स्थिति या कौशल के प्रति आकर्षण करे या जिसका मामूली तौर पर परिणाम उसका स्वलाभ हो; परन्तु किसी व्यवसायी को निम्नलिखित बातों के बारे में समाचारपत्रों में औपचारिक घोषणा करने की अनुज्ञा है, अर्थात् :—

(1) अपना व्यवसाय आरम्भ करना,

(2) व्यवसाय के प्रकार का परिवर्तन,

(3) पते में परिवर्तन,

(4) कर्तव्य से अस्थायी अनुपस्थिति,

(5) व्यवसाय पुनरारम्भ करना,

(6) किसी अन्य के व्यवसाय का उत्तराधिकारी होना।

वह व्यापारियों की, जिनके साथ वह किसी भी हैसियत में संबंधित हो, या विनिर्माणकर्ता फर्मों की कीमत सूचियों या प्रचार सामग्री के माध्यम से अपना नाम प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विज्ञापित भी नहीं करेगा और न ही वह वृत्तिकेतर

समाचारपत्रों या पत्रिकाओं में मामले, शल्यकर्म या रोगियों से धन्यवाद-पत्र प्रकाशित करेगा, परन्तु यह कि उसे किसी वृत्तिक पत्रिका में तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट या प्रकाशन के संबंध में अपना नाम प्रकाशित करने की अनुज्ञा होगी।

8. वृत्तिक सेवा के लिए फीस :

व्यवसाय/सलाहकार सेवा/परामर्श सेवा में लगा पशु-चिकित्सक अपनी आय के स्रोत को ग्राहक को दी गई सेवाओं के लिए प्राप्त फीस तक सीमित रखेगा। ऐसी सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक उस रूप में और वह रकम होगा जो ग्राहक को उस समय विनिर्दिष्ट रूप से घोषित किया जाएगा जब सेवा दी जाती है।

पशु-चिकित्सक अपने विवेकानुसार फीस कम कर सकता है।

9. पेटेंट और प्रतिलिप्याधिकार

पशु-चिकित्सक शल्यचिकित्सीय औजारों, साधित्र और औषधि के पेटेंट या रीतियों और प्रक्रियाओं के अपयोजनों के प्रतिलिप्याधिकार ले सकेगा।

10. खुली दुकान चलाना (औषधियों और साधित्र का वितरण) :

कोई भी पशु-चिकित्सक अपने नुस्खों को छोड़कर किसी भी अन्य चिकित्सक के नुस्खों के योजन के लिए औषधि के विक्रय के लिए खुली दुकान नहीं चलाएगा। किसी भी पशु-चिकित्सक के लिए औषधियों, उपचारों या साधित्र के नुस्खे बनाना या प्रदाय करना तभी अनाचार होगा जब ग्राहक का शोषण हो। किन्तु औषधियों, बलकारक औषधियों या साधित्र का उपचार के बहाने विक्रय अनाचार है।

11. छूट, उपहार और कमीशन

कोई पशु-चिकित्सक विशेषित/विशेषज्ञीय सेवा या उसके अनन्य उपचार/सलाह के लिये किसी ग्राहक को भेजने या उपाप्त करने के प्रतिफलस्वरूप कोई उपहार, उपदान, कमीशन या बोनस नहीं देगा, उसकी याचना नहीं करेगा या प्राप्त नहीं करेगा और न ही वह उसे देने, याचना करने या प्राप्त करने की प्रस्थापना करेगा/करेगी, तथा न ही वह किसी वृधिक सहकर्मी, औषधि या साधित्र व्यापारी या किसी प्रौद्योगिकीविद से कोई कमीशन या अन्य लाभ प्राप्त करेगा/करेगी।

12. गुप्त उपचार

किसी पशु-चिकित्सक द्वारा उन गुप्त औषधियों या अन्य गुप्त उपचार के नुस्खे तैयार करना या वितरण करना जिनके मिश्रण या विनिर्माण का पता नहीं है या उनके उपयोग की अभिवृद्धि करना अनाचार है।

13. विधिक निर्बन्धनों का अपवंचन

पशु चिकित्सक पशु-चिकित्सा के व्यवसाय को विनियमित करने में देश की विधियों का पालन करेगा और ऐसी विधियों का अपवचन करने के लिये अन्य व्यक्तियों की सहायता नहीं करेगा। उसे लोक स्वास्थ्य के हित में स्वच्छता संबंधी विधियों और विनियमों के पालन और प्रवर्तन में सहयोग करना चाहिये। पशु-चिकित्सक को औषधि अधिनियम, भेषजी अधिनियम जैसे राज्य अधिनियमों और ऐसे नियमों और विनियमों के उपबन्धों का पालन करना चाहिये जो पशु लोक स्वास्थ्य के संरक्षण और अभिवृद्धि के लिये केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों या स्थानीय स्वायत्त शासनों और प्रशासनिक निकायों द्वारा बनाये जायें।

पशु-चिकित्सकों के अपने ग्राहकों और रोगियों के प्रति कर्तव्य

14. रोगी के प्रति दायित्व

आपात मामलों के सिवाय, पशु-चिकित्सक उसकी सेवा मांगने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मामलों में उपचार करने के लिये बाध्य नहीं है तो भी वह दयाभाव और अपनी वृत्ति की उदात्त परम्परा का अनुसरण करते हुए रुग्ण और क्षत पशुओं/पक्षियों का आवश्यकतानुसार उपचार करने के लिये न केवल सदैव तैयार रहेगा अपितु अपने कार्य की उच्च प्रकृति और उस उत्तरदायित्व के प्रति भी सचेत रहेगा जो वह अपने वृत्तिक कर्तव्यों के पालन में उपगत करता/करती है।

15. रोगी की उपेक्षा नहीं की जायेगी

पशु-चिकित्सक यह चयन करने के लिये स्वतन्त्र है कि वह किसको सेवा देगा/देगी, परन्तु यह कि वह आपात की दशा में, या जब विचारयुक्त जनता की राय में सेवा की आशा की जाती है तब वह सहायता के लिये अनुरोध को स्वीकार करेगा/करेगी। एक बार किसी मामले को हाथ में ले लेने पर पशु-चिकित्सक रोगी की उपेक्षा नहीं करेगा और मामले से हटने के पहले ग्राहक को पर्याप्त रूप से पूर्व सूचना देगा जिससे वह किसी अन्य वृत्तिक पशु-चिकित्सक की सेवा प्राप्त कर सके।

16. सेवा की समाप्ति

(क) कोई पशु-चिकित्सक निम्नलिखित विधिमान्य कारणों से अपनी सेवा समाप्त कर देगा :—

(i) जहां वह पाता/पाती है कि कोई अन्य व्यवसायी परिचर्या कर रहा है।

(ii) जहां उसके द्वारा विहित उपचार/सलाह से भिन्न उपचारों/सलाह का उपयोग किया जा रहा है।

(iii) जहां उसके उपचार/सलाह और अनुदेशों का उल्लंघन किया जाता है।

(iv) जहां वह महसूस करता है कि रुग्णता या उसकी सेवा लेने की आवश्यकता छलावा है और उसे मिथ्या बहाने का एक पक्षकार बनाया जा रहा है।

(v) जहां ग्राहक चिकित्सक की सलाह के विरुद्ध मादक द्रव्य, ढोंगी चिकित्सा या जादू टोने का आश्रय ले रहा है ।

(iv) जहां ग्राहक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित पूर्ण जानकारी/वृत्त नहीं देता है ।

(ख) यदि ग्राहक उसकी सेवा चाहता है तो यह पता चलना कि रोग असाध्य है/या ग्राहक की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता किसी पशु चिकित्सक द्वारा परिचर्या बंद कर देने के लिये कारण नहीं हो सकता ।

17. उपेक्षा का कार्य

(1) कोई भी पशु चिकित्सक जानबूझकर उपेक्षा का कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे ग्राहक उस-देखभाल से वंचित हो जाये जो अत्यावश्यक है।

(2) किसी पशु-चिकित्सक से सेवा में ऐसी तत्परता और कौशल की प्रत्याशा की जाती है जो वैसी ही अर्हताओं, अनुभव और उपलब्धियों वाले किसी अन्य पशु-चिकित्सक से होती है ।

(3) उसके कार्यों या लोपों का विनिश्चय किन्हीं पशु-चिकित्सा से भिन्न मानकों से नहीं उन मानकों के अनुसार किया जायेगा जिनकी उसके समान प्रशिक्षण, प्रतिष्ठा और अनुभव वाले पशु-चिकित्सक से प्रत्याशा है।

(4) पशु-चिकित्सक मानक औषध विज्ञान के सिद्धांतों के अधीन निर्मित किसी औषध का उपयोग करेगा और सभी आवश्यक तैयारी करेगा/सावधानी बरतेगा, जैसे कीटाणु हनन और उस औषध की सामान्यतया विहित मात्रा का सत्यापन ।

18. रोगियों के साथ व्यवहार

पशु-चिकित्सक का अपने रोगी के प्रति व्यवहार सदैव करुणामय और धैर्यपूर्ण होगा । प्रत्येक रोगी का उपचार ध्यानपूर्वक, विचारपूर्वक और एकाग्रता से किया जायेगा ।

19. देखने जाना

इस तथ्य के होते हुए भी कि पशु-चिकित्सक अपने रोगी/ग्राहक को देखने जाने के लिये बाध्य नहीं है यदि उसने ऐसा करने का वचन दिया है तो वह निश्चित समय पर वहां जायेगा/जायेगी ।

20. रोग के लक्षण

(1) पशु-चिकित्सक रोगी की दशा की गंभीरता को न तो बढ़ा कर बतायेगा और न ही कम करके। वह यह सुनिश्चित करेगा कि रोगी के विधिक स्वामी को रोगी की दशा के बारे में ऐसा ज्ञान हो जाये जिससे रोगी और उसके स्वामी (ग्राहक) के सर्वोत्तम हित का साधन हो ।

(2) खतरनाक रोगों की दशा में या जब गंभीर और अति-संचारी रोगों का पता चलता है तब वह उसकी संसूचना ग्राहक और उन व्यक्तियों को देने में चूक नहीं करेगा जिनके लिये रोग प्रबल खतरा हो सकता है ।

वृत्ति के प्रति पशु-चिकित्सक के कर्तव्य

21. वृत्ति का सम्मान बनाये रखना

पशु-चिकित्सक से यह आशा की जाती है कि वह अपनी वृत्ति की गरिमा और सम्मान बनाये रखेगा ।

22. सोसाइटियों की सदस्यता

अपनी वृत्ति की अभिवृद्धि के लिये पशु-चिकित्सक अपने आपको वृत्तिक सोसाइटियों से सहबद्ध कर सकेगा और अपने समय, साधनों और शक्ति से उनकी प्रगति में योगदान कर सकेगा जिससे कि वे वृत्ति के उद्देश्यों का बेहतर प्रतिनिधित्व और अभिवृद्धि कर सके ।

23. वृत्ति की रक्षा करना

प्रत्येक पशु-चिकित्सक को ऐसे व्यक्तियों के, जिनके नैतिक आचरण या शिक्षा में कमी है, वृत्ति में प्रवेश रोकने में सहायता करनी चाहिये । उसे अपने वृत्तिक व्यवसाय के संबंध में रोगियों का उपचार करने या उनकी शल्य-चिकित्सा करने के लिये कोई अनर्हक कार्मिक नियोजित नहीं करना चाहिये ।

24. अनैतिक आचरण का प्रकटीकरण

वृत्ति के किसी सदस्य के अनैतिक आचरण का प्रकटीकरण भय और पक्षपात के बिना किया जायेगा। वृत्ति के किसी सदस्य के अक्षम, भ्रष्ट, बेईमानी के या अनैतिक आचरण का किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करना चाहिये ।

25. तत्स्थानी की नियुक्ति

जब कभी कोई पशु-चिकित्सक (जिसे इसमें इसके आगे अनुपस्थित पशु-चिकित्सक कहा गया है) व्यवसाय से अपनी अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान उसके रोगी ग्राहकों की परिचर्या करने के लिय किसी अन्य पशु-चिकित्सक से अनुरोध करता है तो वृत्तिक शिष्टाचार यह अपेक्षा करता है कि वह नियुक्ति को स्वीकार करेगा, यदि वह उसके अन्य कर्तव्यों से संगत है। ऐसी नियुक्ति के अधीन पशु-चिकित्सक "अनुपस्थित" पशु-चिकित्सक के हित और ख्याति का अत्यधिक ध्यान रखेगा। वह अपनी सेवाओं के लिये रोगी या अनुपस्थित पशु-चिकित्सक से कोई प्रभार नहीं लेगा किन्तु यदि उनके बीच कोई विशेष ठहराव है तो वह ऐसा कर सकेगा। ऐसे सभी रोगी "अनुपस्थित" पशु-चिकित्सक की वापसी पर उसकी देखभाल में वापस कर दिये जायेंगे ।

26. पशु-चिकित्सकों की एक दूसरे के प्रति वृत्तिक सेवाएं

(1) ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई पशु-चिकित्सक सेवा करने के लिय किसी अन्य पशु-चिकित्सक या समान वृत्ति के किसी सदस्य से कोई प्रभार नहीं लेगा । किन्त पशु-चिकित्सक अपने वृत्तिक बंधुओं की अनुग्राहिक सेवा करने में प्रसन्नता और गर्व का अनुभव करेगा यदि वे उसके निकट रहते हैं या वे पशु-चिकित्सा के छात्र हैं ।

(2) जब कोई पशु-चिकित्सक किसी सह-पशु-चिकित्सक या किसी समान वृत्ति के सदस्य के रोगी की परिचर्या करने के लिय दूर से बुलाया जाता है तो यात्रा और अन्य आनुषंगिक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायगी ।

(3) किसी अन्य पशु-चिकित्सक की देखरेख के अधीन किसी रोगी को आपात में देखने के लिये बुलाया गया पशु-चिकित्सक आपात की दशा समाप्त हो जाने पर रोगी को मूल पशु-चिकित्सक को सौंपकर अलग हो जायगा, किन्तु वह अपनी सेवाओं के लिय ग्राहक से प्रभार पाने का हकदार होगा ।

(4) जब किसी पशु-चिकित्सक से उसके अपने निवास पर परामर्श लिया जाता है तो वह यह पूछताछ करने के लिय बाध्य नहीं है कि क्या रोगी किसी अन्य पशु-चिकित्सक की देख रेख में रहा है । किन्तु रोगी के हित में वह, रोगी का वृत्त जानते समय यह देखेगा कि क्या उपचार किया गया था । किन्तु इस जानकारी का उपयोग उस पशु-चिकित्सक को जिसने रोगी की पहले परिचर्या की थी, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कलंकित करने या उसके विरुद्ध उकसाने के लिय करना अनैतिक है । जब कोई पशु-चिकित्सक किसी रोगी को किसी अन्य पशु-चिकित्सक के अनुरोध पर देखता है तो उसका यह कर्तव्य होगा कि वह (पूर्व कथित) रोगी के बारे में एक पत्र लिखकर अपनी राय दे और यह बताये कि उसके विचार में रोगी के बारे में उपचार की कौनसी रीति अपनाई जानी अपेक्षित है ।

27. यदि किसी पशु-चिकित्सक को कठिन प्रसव या वैसी ही व्याधि के लिये नियुक्त किया जाता है तो वह यह कार्य स्वीकार करेगा। किसी अन्य कार्य में लगे हुए होने के बहाने ऐसा करने से इंकार करना अनैतिक है सिवाय तब के जब वह वैस ही या किसी अन्य गंभीर मामले (मामलों) में पहले ही लगा हुआ है।

जब किसी गंभीर रोगी की परिचर्या करने के लिये नियुक्त कोई पशु-चिकित्सक अनुपस्थित है और किसी अन्य पशु-चिकित्सक को बुलाया जाता है तो वह दूसरा पशु-चिकित्सक विधि सम्मत फीस का हकदार है, परन्तु पहले वाले पशु-चिकित्सक के आ जाने पर परस्पर सहमति के आधार पर और तर्कसम्मत क्रम पर हट जाने के लिये रोगी की सहमति प्राप्त करेगा/करेगी ।

28. जब शासकीय पद धारण करने वाले किसी पशु-चिकित्सक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह किसी रोगी की रुग्णत या क्षति या कोई अन्य वृत्तिक समस्याओं को देखे और उनके संबंध में रिपोर्ट करे तो वह ऐसा करेगा किंतु वह परिचर्या करने वाले पशु-चिकित्सक को इसकी संसूचना देगा जिससे उसको उपस्थित रहने का अवसर मिल जाए । पशु-चिकित्सक (पहले वाला) उस रोग-निदान या उपचार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। किंतु वह दूसरे वाले पशु-चिकित्सक के साथ एकांत में विचार-विमर्श कर सकता है ।

iV परामर्श करने में व्यवसायियों का कर्तव्य

29. गंभीर रुग्णता/संदेहास्पद य कठिन स्थितियों की दशा में पशु-चिकित्सक परामर्श के लिए सदैव अनुरोध करेगा; बड़ी शल्य-चिकित्सीय बाधाओं में पशु-समूह को रोगों के हो जाने पर, विषाकतन, स्थानीय रोगों या निदान न की जा सकने वाली स्थितियों में भी वह ऐसा करेगा/ करेगी ।

30. परामर्श में समय का पालन

किसी परामर्श में उपस्थित होने के लिए पशु-चिकित्सक समय का पालन करेगा । यदि कोई परामर्शी पशु-चिकित्सक उस दूरी का जिससे उसे आना है और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए, युक्तियुक्त समय के भीतर नहीं आता है तो परामर्श लेने वाला पशु-चिकित्सक रोगी को देखने के लिए स्वतंत्र होगा, परंतु यह कि वह अपना लिखित निष्कर्ष बंद लिफाफे में छोड़ जाएगा। जब परामर्श लेने वाला पशु-चिकित्सक समय पर आने में असफल रहता है तब भी यह नियम लागू होगा ।

31. अन्य पशु-चिकित्सक को निर्दिष्ट रोगी

जब कोई मामला किसी अन्य पशु-चिकित्सक को निर्दिष्ट किया जाए तो पूर्ववृत्त, संप्रेक्षण, रोग संबंधी और प्रयोगशाला परीक्षा तथा तत्काल के लिए किए गए उपचारों का विवरण दिया जाए ।

उपर्युक्त विवरण की प्राप्ति पर निर्दिष्ट मामले को प्राप्त करने वाला पशु-चिकित्सक परिचर्या करने वाले पशु-चिकित्सक को अपनी राय संसूचित करेगा/करेगी और या तो अपनी राय के अनुसार उपचार जारी रखेगा या अपनी राय संसूचित करते हुए मामला वापस कर देगा/देगी ।

32. परामर्श रोगी के फायदे के लिए होगा।

प्रत्येक परामर्श में रोगी का फायदा ही एकमात्र लक्ष्य होगा यह उत्तरदायित्व से बचने या धन प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए ।

33. परामर्श का संचालन

(1) परामर्श में अगंभीरता, प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मामले के प्रभारी पशु-चिकित्सक के प्रति सभी सम्यक् आदर दर्शित किया जाएगा और कोई ऐसा कथन या टिप्पणी नहीं की जाएगी जिससे ग्राहक द्वारा उसमें किया गया विश्वास कम हो। इस प्रयोजन के लिए ऐसी कोई चर्चा ग्राहक के समक्ष नहीं की जाएगी ।

IndiaCode

(2) ग्राहक को किए गए सभी कथन परामर्श लेने वाले पशु-चिकित्सक की उपस्थिति में किए जाएंगे, सिवाय तब के जब अन्यथा करार पाया जाए । ग्राहक को घोषणा भी यथासंभव विस्तार तक परामर्श लेने वाले पशु-चिकित्सक द्वारा की जाएगी ।

(3) मतभेद तब तक प्रकट नहीं किया जाएगा जब तक कि दोनों यह अनुभव न करें कि वह रोगी के हित में या वृत्ति की गरिमा के लिए है।

(4) ग्राहक और सलाह लेने के लिए स्वतंत्र होगा और परामर्श लेने वाला पशु-चिकित्सक ग्राहक की सहमति से किसी और पशु-चिकित्सक से परामर्श ले सकेगा । इसमें आचार के नियम वही होंगे ।

34. परामर्श की समाप्ति

परामर्श लेने वाले पशु-चिकित्सक की परिचर्या परामर्श के साथ ही समाप्त हो जाएगी जब तक कि परिचर्या करने वाला पुनः परामर्श के लिए समय नहीं लेता है ।

35. परामर्श के पश्चात उपचार

परिचर्या करने वाला पशु-चिकित्सक उपचार में कोई ऐसा पश्चात्वर्ती परिवर्तन करने से अवरुद्ध नहीं होगा जो किसी अनाशयित परिवर्तन (स्थिति) में अपेक्षित हो, परंतु आगामी परामर्श में परिवर्तनों के कारणों का कथन किया जाएगा ।

वही विशेषाधिकार, उसकी बाध्यताओं सहित, परामर्शी का होता है जब परिचर्या करने वाले पशु-चिकित्सक की अनुपस्थिति में आपात में उसे बुलाया जाता है । परिचर्या करने वाला पशु-चिकित्सक किसी भी समय औषध के उपयोग की सलाह दे सकेगा । किंतु परामर्शी केवल आपात या तुरंत आवश्यकता की दशा में/दोनों ही सभी उपचारों का एक दूसरे को कथन करेंगे ।

36. परामर्शी मामले को अपने भारसाधन में नहीं लेगा।

जब किसी परामर्शी पशु-चिकित्सक से परामर्श की अपेक्षा की जाती है तो बहुत ही कम और अति असाधारण परिस्थितियों में परामर्शी के लिए यह न्यायसंगत होगा कि वह मामले को अपने भारसाधन में ले।

उसे ग्राहक या उसके प्रतिनिधि के अनुरोध पर ही ऐसा नहीं करना चाहिए ।

37. अरजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सकों से परामर्श लेने के विरुद्ध वर्जन।

कोई भी पशु-चिकित्सक किसी ऐसे पशु-चिकित्सक से परामर्श नहीं करेगा जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है ।

VI पशु-चिकित्सकों के जनता के प्रति कर्तव्य

38. नागरिक के रूप में पशु-चिकित्सक

पशु-चिकित्सक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अच्छे नागरिक के रूप में जहां वे रहते है वहां पशुओं के स्वास्थ्य और पालन के संबंध में सलाह देंगे । वे समाज की विधियों को प्रवर्तित करने (जिनमें किसी समुदाय के प्रति पक्षपात या पूर्वग्रह नहीं होगा) और उन संस्थाओं को समर्थन करने के लिए जो मानवता के हितों को अग्रसर करता हैं, अपना योगदान करेंगे। वे स्वच्छता संबंधी विधियों और औषध, विष और भेषजी के संबंध में स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए बनाई गई विधियों का पालन करने में प्राधिकारियों से सहयोग करेंगे ।

39. लोक स्वास्थ्य

लोक स्वास्थ्य कार्य में लगा हुआ पशु-चिकित्सक करतीन विनियमों के संबंध में और एक प्रकार के पशुओं में एक ही समय में होने वाले रोगों, पशुओं से मनुष्य को संचारी रोगों और खाद्यवाहित रोगों और मतता तथा संचारी रोगों के निवारण के लिए उपायों के संबंध में जनता को अवगत कराएंगे । पशु-चिकित्सक उनकी देखरेख के अधीन संचारी रोग के प्रत्येक मामले की संसूचना संबंधित प्राधिकारियों को उनकी विधियों, नियमों और विनियमों के अनुसार करेंगे । जब कोई महामारी फैली हुई हो तब पशु-चिकित्सक अपना कार्य अपने स्वास्थ्य को जोखिम का ध्यान किए बिना करता रहेगा /करती रहेगी । वह पशु-उत्पादों और उनके अपशिष्टों के स्वच्छता से हथालना सुनिश्चित करने तथा खाद्यवाहित रोगों और मतताओं के बारे में जनता को शिक्षित करने का प्रयास करेगा/करेगी ।

40. पशु-उत्पादन और प्रौद्योगिकी

पशु-चिकित्सक औद्योगिक प्रबंध पर जिसमें मितव्ययी निर्माण और स्वच्छ आवास, वैज्ञानिक जनन कार्यक्रम, रोग निवारण चर्या, प्रजनन स्वास्थ्य मानीटरी, उत्पति के पूर्व, उस पर और उसके पश्चात् स्वच्छ और व्यवस्थित देखरेख, नवजात की देखरेख, कृषि उपज का स्वच्छ संग्रहण और पशु-उत्पादों और उनके अपशिष्टों का उचित व्ययन है, समय पर सलाह/प्रचार के माध्यम से पशु-उत्पादन की बेहतरी के लिए प्रयास करेगा ।

उसे कृत्रिम गर्भाधान के दौरान समय से गर्भाधान और कीटाणु नाशक रूप से हथालने के संबंध में जनता और परा-पशु-चिकित्सीय कर्मचारिवृन्द को शिक्षित करने और अवैज्ञानिक तथा अस्वच्छ गर्भाधानों को निरूत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए ।

VII—अनुशासनिक कार्रवाई

41. भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् निम्नलिखित बातों की रजिस्ट्रीकृत पशु-चिकित्सा व्यवसायियों को जानकारी देती है ।

उन अपराधों और वृत्तिक अवचार संबंधी मामलों में जो अनुशासनिक कारवाई के लिए समुचित पशु-चिकित्सा परिषद् के समक्ष लाए जाएं, समुचित पशु-चिकित्स परिषद् अधिनियम की धारा 31 द्वारा प्रदत्त प्राधिकार से ऐसे दंड अधिनिर्णीत

कर सकेंगी जो आवश्यक समझे जाएं या रजिस्टर से सदा के लिए या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी का नाम हटाने का आदेश दे सकेंगी जो ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिससे पशु-चिकित्सा परिषद् (परिषदों) की राय में चरित्र में कोई त्रुटि विवक्षित है या जो जांच के पश्चात् जिसमें ऐसे रजिस्ट्रीकृत पशु-चिकित्सा व्यवसायियों को व्यक्तिगत रूप से या किसी प्लीडर के माध्यम से चुने जाने का अवसर दिया गया है, समुचित पशु-चिकित्सा परिषद् द्वारा गंभीर वृत्तिक अवचार के दोषी अभिनिर्णीत किए गए हैं। समुचित पशु-चिकित्सा परिषद् यह निदेश भी दे सकेगी कि इस प्रकार हटाया गया कोई नाम प्रत्यावर्तित किया जाए ।

यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि अपराधों और वृत्तिक अवचार के जो दृष्टांत दिए गए हैं, गर्हित कार्यों की संपूर्ण सूची गठित नहीं करते हैं और गठित करने के लिए आशयित नहीं हैं जिनके लिए उन्हें रजिस्टर से नाम के हटाए जाने के दंड से दंडित किया जा सकेगा और कि यह सूचना जारी करके भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् और/या राज्य पशु-चिकित्सा परिषद् (परिषदें) किसी रजिस्ट्रीकृत पशु-चिकित्सा व्यवसायी के किसी वृत्तिक अवचार पर विचार करने और उसके संबंध में कार्यवाही करने से किसी भी प्रकार से प्रवारित नहीं हो गई है/हैं । ऐसी परिस्थितियां समय-समय पर उत्पन्न हो सकती हैं और होती है जिनके बारे में वृत्तिक अवचार के प्रश्न उद्भूत हो सकते हैं और जो इनमें से किन्हीं भी प्रवर्गों में नहीं आते हैं। इसके बारे में सावधानी बरतनी चाहिए कि संहिता का किसी भी प्रकार अतिक्रमण नहीं हो । ऐसी दशा में और अन्य दूसरी दशाओं में भी भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् और/या राज्य पशु-चिकित्सा परिषद् (परिषदें) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् और/या राज्य पशु-चिकित्सा परिषदों के समक्ष लाए गए तथ्यों पर विचार करके विनिश्चय करेंगी ।

42. वृत्तिक अवचार

निम्नलिखित कार्य वृत्तिक अवचार गठित करते हैं :

1. किसी रोगी के साथ अनुचित आचरण या किसी ग्राहक के साथ अनुचित संबंध रखना।
2. ऐसे अपराधों के लिए, जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि ।
3. मिथ्या वृत्तिक प्रमाणपत्र, रिपोर्टें और अन्य दस्तावेज देना या उनमें छेड़छाड़ करना।

रजिस्ट्रीकृत पशु-चिकित्सा व्यवसायी कुछ मामलों में पशु-चिकित्सा सेवा के भाग के रूप में न्यायालय, प्रशासनिक कार्यालयों, बैंकों आदि को हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र, रिपोर्टें और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हैं या उनसे समय-समय पर इसके लिए अपेक्षा या अनुरोध किया जा सकता है (धारा 29 और 30 देखें)।

(1) अन्य तत्समान और/या उसी प्रकार के दस्तावेजों के अतिस्तत्वशील होते हुए भी ऐसे दस्तावेजों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

(क) पालतू पशुओं के अनुज्ञापन के लिए टीके का प्रमाणपत्र ।

(ख) एक राज्य से अन्य राज्य को पार करने के लिए टीके का प्रमाणपत्र ।

(ग) पशुओं के निर्यात के लिए टीके का प्रमाणपत्र ।

(घ) बीमा, रजिस्ट्रीकरण आदि के प्रयोजन के लिए घोड़े के लिए आरोग्यता प्रमाणपत्र या पशु के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र ।

(ङ) क्षयरोग परीक्षण जैसे परीक्षणों (निदान) के परिणाम दर्शित करने वाला प्रमाणपत्र ।

(च) बीमा दावों आदि के प्रयोजन के लिए पशु-चिकित्सीय विधिक मामलों में शव-परीक्षा रिपोर्टें ।

(छ) दुर्घटना, क्रूरता या बदला अन्तर्वलित करने वाले पशु-चिकित्सीय-विधिक मामलों में नुकसान और/या क्षय का विस्तार और प्रकृति दर्शित करने वाला आघात प्रमाणपत्र ।

(ज) बीमा, रजिस्ट्रीकरण, उधार आदि के प्रयोजनों के लिए उस समय अपेक्षित जन्म प्रमाणपत्र ।

(झ) उत्पत्ति दोष, रोग या किसी पशु को अलाभकारी (विनष्ट करने के लिए ठीक) करने की अन्य दशाएं दर्शित करने वाला प्रमाणपत्र ।

(ञ) जहां उपचार लाभकर होने की संभावना नहीं है वहां दयापूर्वक मृत्यु के लिए प्रमाणपत्र, दयापूर्वक मृत्युकारित करने का प्रमाणपत्र ।

(ट) पशुओं/पक्षियों/पशु-उत्पादों के उतरने के स्थानों पर करंतीन समाप्त होने पर करंतीन निकासी प्रमाण-पत्र ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत पशु-चिकित्सा व्यवसायी, जिसके बारे में यह साबित हो जाता है कि उसने कोई ऐसा प्रमाण-पत्र, रिपोर्ट या इसी प्रकार का कोई दस्तावेज हस्ताक्षरित या अपने नाम या प्राधिकार से दिया है जो असत्य, भ्रामक या कई मामलों में अनुचित रूप से संबंधित है जिनमें से कुछ ऊपर विनिर्दिष्ट किए गए हैं तो भारतीय पशु-चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर से उसका नाम हटाया जा सकेगा।

(3) रजिस्ट्रीकृत पशु-चिकित्सा व्यवसायी एक पशु चिकित्सा प्रमाणपत्र रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें उन प्रमाण-पत्रों के पूरे ब्योरे दिए जाएंगे जो उसने जारी किए हैं।

(4) ऐसा प्रमाणपत्र जारी करते समय रोगी का पहचान चिन्ह, नाम और संख्यांक, यदि कोई हो, आयु और अन्य ब्योरे दिए जाएंगे जिनके अन्तर्गत स्वामी का नाम है और प्रमाणपत्र की एक प्रति वह अपने पास अभिलेख के लिए रखेगा। ग्राहक के हस्ताक्षर और/या अंगूठा चिन्ह तथा एक

घोषणा कि वह रोगी का वास्तविक स्वामी है या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि है, सदैव अभिप्राप्त किया जाएगा।

4. औषधों से संबंधित विधियों और उनके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन।

5. जैसा उस विधि द्वारा उपबंधित है उसके सिवाय जनता या अपने ग्राहकों को विधि द्वारा विनियमित किसी औषध या विष का विक्रय करना।

6. कोई अवैध शल्य क्रिया करने या किसी अनर्ह व्यक्ति को ऐसा करने के लिए समर्थ बनाना जिसके लिए कोई चिकित्सीय, शल्य चिकित्सीय या मनोवैज्ञानिक संकेत नहीं है।

7. किसी औषधि विक्रेता की दुकान पर या ऐसे स्थानों में जहां पशु-चिकित्सक निवास नहीं करता है या कार्य नहीं करता है, नामपट्ट लगाना इसका अर्थ घोषणा बोर्ड या दिशा संकेतक नहीं है।

8. कोई बोर्ड या नाम संप्रदर्शित करते समय किसी पशु-चिकित्सक के लिए उस पर उसके नाम, किसी विश्वविद्यालय या किसी कानूनी निकाय से अभिप्राप्त अर्हताओं, उपाधियों और उसकी विशेषता, यदि कोई हो (ऐसा नाम उसके नुस्खे लिखने के कागज पर लिखा होगा) और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक से भिन्न कुछ और लिखना अनुचित है।

9. शल्य-चिकित्सा करने से पूर्व रजिस्ट्रीकृत पशु-चिकित्सक को ग्राहक से लिखित सहमति अभिप्राप्त करनी चाहिए। दयापूर्वक मृत्यु कारित करने के पूर्व भी सहमति ली जाएगी।

10. कोई भी पशु-चिकित्सक ग्राहक उपाप्त करने के लिए दलाल या अभिकर्ताओं का उपयोग नहीं करेगा।

43. अनुशासनिक समितियां

एक अनुशासनिक समिति होगी जिसका कर्तव्य निम्नलिखित पर विचार करना और उसका अवधारण करना होगा :

(क) राज्य पशु-चिकित्सा परिषद द्वारा उनको निर्देशित किया गया अनुशासन भंग का कोई मामला या व्यथित रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा अपील।

(ख) कोई अन्य मामला जिसका अनुशासन समिति को संज्ञान है।

44. राज्य पशु-चिकित्सा परिषद निम्नलिखित के संबंध में समिति (समितियों)/उप समिति (समितियों) के माध्यम से (तथ्यों का पता चलाकर और शिकायतें प्राप्त करके) अन्वेषण करेगी :

(क) किसी दांडिक अपराध के लिए, जो समिति की राय में उसे पशु-चिकित्सा वृत्ति का व्यवसाय करने के लिए अयोग्य बना देता है, सिद्धदोष ठहराए गए रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी।

(ख) किसी वृति के दृष्टि से निकृष्ट आचरण का दोषी पाया गया। अधिनिर्णीत कोई ऐसा पशु चिकित्सक।

(ग) कोई व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर में कपट-पूर्वक दर्ज किया गया है।

45. राज्य पशु-चकित्सा परिषद् (परिषदें) किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में शिकायतों की प्राप्ति पर, कि वह अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (ख) के अधीन वर्णित लघु पशु-चिकित्सा सेवाएं करते हुए, अपर्यवेक्षित उपचार पशु-चिकित्सीय सेवा अपने आपको पशु-चिकित्सक दर्शित करते हुए करता है/करते है, आवश्यक अन्वेषण करेगी / करेंगी और संबंधित राज्य सरकार को समुचित कार्रवाई करने की सलाह देगी / देंगी या स्वयं विधि के अधीन कार्रवाई आरंभ करेगी/ करेंगी।

[सं. 4-4/91 वी सी आई / 3]

आचार्य (डा.) रामा कुमार वी, सचिव

VETERINARY COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 1992

G.S.R. 395(E).—In exercise of the powers conferred by section 66 read with section 31 of Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) the Veterinary Council of India, with previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called, the Veterinary Council of India (Standard of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics, for Veterinary Practitioners) Regulations, 1992.

(2) They shall come into force on the date of its publications in the Official Gazette.

2. Definitions—.(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, —

(a) 'Veterinary' means a registered veterinary practioner as defined in the Act.

(b) 'Act' means the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984).

(c) 'Regulations' means the Standard of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics Regulations. This definition limits its meaning to the terms used within the said regulations.

(d) 'Patient' shall mean an animal, bird or a group of them being terated or managed or advised to be treated or managed by a veterinarian.

(e) 'Client' means the legal owner of the patient or his representative, or the person or persons directly assigned responsibility of the patient.

(f) 'Profession' means veterinary profession covering all its branches, namely, animal health animal production and technology, and shall include any sister profession wherein veterinary service is extended or is sought or is made use of, namely laboratory animal medicine, animal experimentation and vaccine production.

IndiaCode

3. Declaration and oath by a Veterinarian.—Being admitted to the profession of veterinary medicine. I solemnly swear to use my scientific knowledge and skills for the benefit of society through the protection of animal health, the relief of animal suffering, the conservation of livestock resources, the promotion of public health, and the advancement of knowledge in veterinary science.

I shall practise my profession conscientiously, with dignity, and in keeping with the principles of veterniary medical ethics.

I accept as a lifelong obligation the continuous improvement of my professional knowledge and competence.

GENERAL PRINCIPLES

4. Character of the veterinarian.—The primary object of the veterinary profession is to render service to humanity by facilitating better animal production, ensuring veterinary public health as also caring for the sick animals and alleviating their suffering; financial reward is always a subordinate consideration. Whosoever chooses the profession, assumses the obligation to conduct oneself in accordance with the noble ideals of serving the dumb and mute creatures. The veterinarian shall be an upright person and shall be sincere and diligent in caring for the sick and managing the healthy animals. He|She shall be modest, sober, and prompt in discharging his|her duties.

He|She shall conduct himself|herself with propriety in his|her profession and in all actions of his|her life.

5. Standards of character and morals.—The veterniary profession expects from its members the highest level of character and morals. Every veterinarian owes to the profession and the public a duty to achieve such a level. It shall be incumbent on veterinarians to be temperate in all matters of practice of the profession and to exercise clear and vigorous application of mind.

6. Veterinarian's responsibility.—A veterinarian shall merit the trust and confidence of his|her clients, rendering their animals full measure of service with devotion. The honoured ideals imply that responsibilities of a veterinarian extend not only to one client and the animals he brings but also to the entire society.

7. Advertising.—Soliciation of clients by a veterniarian directly or indirectly through an advertisement in newspapers, circular cards, placards, or handbills in a manner projecting himself|herself to be in a position of superiority which he/she himself/herself has not achieved, is untheical.

A veterinarian should not make use of or let others make use of him|her or his|her name as a subject of any form or manner of advertising or publicity through lay channels which shall be of such a character as to invite attention to him|her or his|her professional position or skill or as would ordinarily result in his|her self-aggrandisment; provided that a practitione is pemitted formal announcement in press about the following matters namely :

(1) starting of his|her practice,

(2) change of type of practice,

(3) change of address,

(4) temporary absence from duty,

(5) resumption of practice,

(6) succeeding to another's practice.

He|She shall further not advertise directly or indirectly through price lists or publicity materials of manufacturing firms or traders with whom he|she may be connected in any capacity, nor shall he|she publish cases, operations or letters of thaks from patients in non-professional newspapers or journals; provided that it shall be permissible for him/her to publish his|her name in connection with a technical expert's report or publication in a professional journal.

8. Fee for professional service.—A veterinary engaged in practice|advisory service|consultancy, shall limit the source of his|her income to the fee received for service rendered to the client. Remuneration received for such services shall be in the form and amount specifically announced to the client at the time the service is rendered.

9. Patent and Copyrights.—A veterninarian may patent surgical instruments, appliances and medicine or copyright applications of methods and procedure.

10. Running an Open Shop.—(Dispensing of drugs and appliances by veterinarians).

A veterinanarian shall not run an open shop for sale of medicine for dispensing prescriptions by doctors other than himself.

11. Rebates, gifts and commissions.—A veternarian shall not give, solicit or receive nor shall he|she offer to give, solicit or receive, any gift, gratuity, commission or bonus in consideration for the referring or procuring of, any client for specialist|expert service or exclusive treatment|advice thereof; nor shall he/she receive any commission or other benefit from a professional colleague, trader of medicine or appliances or from a technologist.

12. Secret Remedies.—The prescribing or dispensing by a veterinarian of secret medicines or other secret remedial agents, of which he|she does not know the composition or the manufacture, or promotion of their use, is unethical.

13. Evasion of Legal Restrictions.—A veterinarian shall observe the laws of the country in regulating the practice of veterinary medicine and will not assist others to evade such laws. He|She should co-operate in the observance and enforcement of sanitary laws and regulations in the interst of public health. A veterinarian shall observe the provisions of the State Acts like Drugs Act, Pharmacy Act, Rules and Regulations made by the Central Government, State Governments or Local Self Governments and Administrative Bodies for protection and promotion of veterinary public health.

DUTIES OF VETERINARIANS TO THEIR CLIENTS AND PATIENTS

14. Obligatin to the patient.—Though a veterinarian is not bound to treat cases of each and every one asking for his|her service, except in emergencies, he|she shall for the sake of humanity and the noble tradition of the profession, not only be ever ready to respond to the need of the sick and injured animals|birds, but shall also be mindful of the high character of his|her mission and the responsibilty he|she incurs in the discharge of his|her professional duties.

15. Patient not to be neglected.—A veterinarian is free to choose whom he|she will serve, provided that he|she shall respond to any request for his|her assistance in an emergency or whenever temperate public opinion expects the service.

Once having undertaken a case, a veterinarian shall not neglect the patient nor shall he|she withdraw from the case without giving notice to the client sufficiently in advance, to allow him secure another professional veterinarian.

16. Termination of service.—(a) A veteeinarian shall withdraw his|her service under following valid reasons :—

(i) Where he/she finds another veterinarian in attendance.

(ii) Where remedies|advice other than those prescribed by him|her are being used.

(iii) Where his|her remedies|advice and instructions are refused.

(iv) Where he|she feels that the illness or the need of his|her service is an imposture and that he|she is being made a party to a false pretence.

(v) Where a client is resorting to the use of intoxicating drugs, means of quackery or witchcraft against medical advice; and

(vi) Where complete information|history concerning the fact and circumstances of the case are not supplied by a client.

(b) The discovery that the malady is incurable|the client's problems are unsolvable, is no execuse to discontinue attendance by a veterinarian as long as his|her client desire the service.

17. Act of negligence.—(1) No veterinarian shall wilfully commit an act of negligence that may deprive patient of the care that is absolutely necessary.

(2) A veterinarian is expected to show such diligence and skill in service as would be expected of another veterinarian of similar qualifications, experience and attainments.

(3) His/Her acts of commission or ommission shall not be judged by any non-veterinary standards, but as those expected from a veterinarian of his|her training, standing and experience.

(4) A veterinarian shall use any drug prepared under standard pharmacological principles and shall adopt all necessary preparations|precautions, like sterilization and verification of doses as are normally prescribed for that drug.

18. Behaviour to patients.

The demeanour of a veterinarian towards his/her patient shall always be kind, tender and full of patience. Every patient shall be treated with attention, consideration and concentration.

19. Visit.

Notwithstanding the fact that a veterinarian is not bound to visit his/her patient/client, he/she shall make it at the indicated hour, once he/she had committed to do so.

20. Prognosis.

(a) A veterinarian shall neither exaggerate nor minimise the gravity of a patient's condition. He/she shall ensure that the legal owner of the patient has such knowldege of the patient's condition as will serve the best interest of the patient and its owner (client).

(b) In case of dangerous manifestations, or when grave and highly communicable diseases are encountered he shall not fail to inform the client and those to whom the disease can be of potent danger.

DUTIES OF VETERINARIANS TO THE PROFESSION

21. Upholding the honour of the profession.

A veterinarian is expected to uphold the dignity and honour of his profession.

22. Membership of societies.

For the advancement of his/her profession a veterinarian may affiliate himself/herself with professional societies and contribute his|her time, means and energy to their progress, so that they may represent and promote the ideals of the profession better.

23. Safeguarding the profession.

Every veterinarian shall laid in safeguarding the profession against admission to it of those who are deficient in moral character or education. He|she should not employ in connection with his/her professional practice any unqualified personnel to treat or perform operation upon patients.

24. Exposure of unethical conduct.

Exposure of unethical conduct on the part of any member of the profession shall be done without fear of favour The incompetent, corrupt, dishonest or unethical conduct on the part of any member of the profession shall be discouraged at any cost.

25. Apponitment of substitute.

Whenever a veterinarian (hereinafter mentioned as absent veterinarian) requests another veterinarian to attend to his/her patient/clients during his/her temporary absence from practice professional courtesy requires the acceptance of such an appointment by the latter, if consistent with his/her other duties. The veterinarian under such appointment shall give utmost consideration to the interest and reputation of the 'absent' veterinarian. He/She shall not charge either the patient or the absent veterinarian for his/her services, except in case of special arrangement between them. All such patients shall be restored to the care of the absent veterinarian upon his/her return.

26. Professional services of veterinarians to one another.

(1) There is no rule that a veterinarian shall not charge another veterinarian or a member of a sister profession for service rendered. But a veterinarian shall consider it a pleasure and previlege to render gratuitous service to his/her professional brothren, if they are in his/her vicinity, or to a veterinary student.

(2) When a veterinarian is called from a distance to attend to a case of a fellow veterinarian or a member of a sister profession, reimbursement shall be made for travelling and other incidental expenses.

(3) A veterinarian called in any emergency to visit a patient under the care of a another veterinarian, shall, when the emergency is over, retire in favour of the latter; but shall be entitled to charge the client for his/her services.

(4) When a veterinarian is consulted at his/her own residence, it is not binding on him/her to enquire if the patient has been under the care of another veterinarian. But in the interests of the patient he/she shall, while ascertaining history, go through the treatment followed if any. However, it is unethical that this information be used to malign or instigate against, directly or indirectly, the veternarian who happened to attend on the patient previously. When a veterinarina sees a patient at the request of another veterinarian, it shall be the duty of the first veterinarian to write a letter to the veterinarian making the request stating his/her opinion of the case with the modes of treatment he/she thinks proper to be adopted.

27. (1) If a veterinarian is engaged to attend on a patient of dystokia or a similar distress he/she shall do so. Refusal to do so under excuse of another engagement is unethical except, when he/she is already engaged in similar or another serious case(s).

(2) When a veterinarian engaged to attend a serious case is absent and another veterinarian is sent for, the latter shall be entitled to legitimate fees; provided that he/she shall secure the client's consent to withdraw on arrival of the former at a mutually consented or logical phase.

28. When it becomes the duty of a veterinarian occupying an official position to see and report on an illness or injury or any other professional problems concerning a patient, he/she shall do so, but communicate to the veterinarian in attendance, so as to give him/her an option to be present. The former shall avoid remarks on the diagnosis or treatment that has been adopted. This does not prevent him/her from discussing the matter with the later in isolation.

DUTY OF PRACTITIONERS IN CONSULTATION

29. Consultation shall be encouraged.

In case of serious illness/doubtful or difficult conditions, a veterinarian shall always request consultation; he/she shall also do so in the case of major surgical interventions, out break of herd diseases, poisoning, endemics or undiagnosible situations.

30. Punctuality in consultations.

Punctuality shall be observed by a veterinarian in attending a consultation. If a consultant veterinarian does not arrive within reasonable time, keeping in view the distance he/she has to travel and other relevant factors the consulting veterinarian shall be at liberty to see the patient; pro-

vided that he/she shall leave his/her conclusion in writing in a closed envelope. The same rule is applicable if the consulting veterinarian fails to turn up in time.

31. Patient referred to another veterinarian.

1) When a patient is referred to another veterinarian, a statement of the history, observation, clinical and laboratory examination as well as the tentative treatments underaken shall be given.

(2) On receipt of the above statement the veterinarian receiving the referred case shall communicate his/her opinion to the attending veterinarian and either shall continue the treatment as per his/her opinion or return the case alongwith his/her opinion communicated.

32. Consultation for patient's benefit.

In every consultation, the benefit of the patient shall be of prime importance. It should not be done with an ulterior motive of evasion of responsibilities or on monetary considerations.

33. Conduct of consultation.

(1) In consultation there shall be no place for insincerity, rivalry or envy. All due respect shall be shown to the veterinarian in charge of the case and no statement or remark shall be made which would impair the confidence reposed in him/her by the client. For this purpose no such discussion shall, therefore, be made before the client.

(2) All statements to the client shall be made in the presence of consulting veterinarian, except as otherwise agreed. Announcement to the client also shall be made by the consulting veterinarian to the extent possible.

(3) Difference of opinion shall not be divulged unless both feel that is would be in the interest of the patient or dignity of the profession.

(4) It shall be open to the client to take further advice and the consulting veterinarian with the consent of the client may consult yet another veterinarian, the rules of ethics remaining the same.

34. Cessaiton of consultation.

Attendance of consulting veterinarian shall cease when consultation is concluded; unless another appointment is arranged by the attending veterinarian.

35. Treatmet after consultation.

(1) No decision shall restrain the attending veterinarian from making such subsequent variation in the treatment as any unexpected change or development may demand; provided that at the next consultation, reasons for variations are stated.

(2) The same privilege, with its obligations, belongs to the consultant when sent for in an emergency during the absence of attending veterinarian. The attending veterinarian may prescribe at any time; but the consultant only in case of emergency or instant need, All treatments by moth shall be stated to each other.

36. Consultant not to take charge of the case.

When a consultant veterinarian is called upon to be consulted, none but the rarest and most exceptional circumstances shall justify the consultant taking charge of the case He must not do so merely on solication of the client or his representative.

37. Bar on consulting non-registered veterinary practioners.

No veterinarian shall have consultation with a veterinary practitioner who is not registered.

DUTIES OF VETERINARIANS TO THE PUBLIC

38. Veterinarian as citizen.

Veterinarians as good citizens possessed of special training, shall advise concerning the health and husbandry of the animals, in the localities wherein they dwell. They shall play their part in enforcing the laws of the community (not favolving any communal overtones or prejudices) and in substantiating the institutions that advance the interests of humanity. They shall cooperate with the authorities in the observance and enforcement of sanitary laws and the laws relating to drugs poisions and pharmacy, made for the protection of health.

39. Public health.

A veterinarian engaged in public health work shall enlighten the public concerning quarantine regulations and measures for the prevention of epizootic, zoonotic and food borne diseases and intoxications and communicable diseases. At all times, the veterinarians shall notify the respective authoriites of every case of communicable diseases under their care, in accordance with the laws, rules and regulations of the authorities. When an epidemic prevails, the veterinarian shall continue his/her labour without regard to the risk to his/her own health. He She shall endeavour to ensure hygienic handling of animal products and wastes thereof and educate the public of food-borne diseases and intoxications.

40. Livestock production and technology.

A veterinarian shall strive for the betterment of animal production through timely advice/propaganda on scientific management involving economically viable and hygienic housing, adoption of scientific breeding schedule, disease prevention routines, reproductive health monitoring, hygienic and systematic care before, at and following partutrition, care of new born, hygienic collection of farm products and proper disposal of animal products and wastes thereof.

He|She should strive to educate the public and paraveterinary staff|personnel regarding timely insemination and aspetic handling during A.I. and discourage the unscientific and unhygienic inseminations.

DISCIPLINARY ACTION

41. The Veterinary Council of India brings to the notice of the registered veterinary practitioners the following:

In matters regarding offences and form of professional misconduct, which may be brought before the appropriate Veterinary Council for disciplinary action, in view of the authority conferred by section 31 of the Act, the appropriate Veterinary Councils may award such punishments as deemed necessary or may direct the removal altogether, or for a specific period, from the register, the name of any registered veterinary practitioner, who has been convicted of any such offence as implies in the opinion of the Veterinary Council(s), a defect of character or who after an enquiry at which opportunity has been given to such registered veterinary practitioners to be heard in person or through a pleader, has been held by the appropriate Veterinary Council to have been guilty of serious professional misconduct. The appropriate Veterinary Council may also direct that any name so removed shall be restored.

It must be clearly understood that the instances of offences and of professional misconduct which are given do not constitute and are not intended to constitute a complete list of the infamous acts which may be punished by erasure from the register and that by issuing this notice the Veterinary Council of India and/or State Veterinary Council(s) is/are in no way precluded from considering and dealing with any professional misconduct on the part of a registered veterinary practitioner. Circumstances may and do arise from time to time in relation to which may occur questions of professional misconduct which do not come within any of these categories. Every care should be taken that the code is not violation in letter or spirit. In such instance, as in all others the Veterinary Council of India and/or State Veterinary Council(s) has/have to consider and decide upon the facts

brought before the Veterinary Council of India and/or State Veterinary Council(s).

42. Professional Misconduct

The following actions shall constitute professional misconduct :

1. Improper conduct with a patient or maintaining an improper association with a client.

2. Conviction by a Court of Law for offences involving moral turpitude.

3. Tampering with or falsely providing professional certificates, reports and other documents.—The registered veterinary practitioners are in certain cases bound by law to give or may from time to time be called upon or requested to give signed certificates, reports and other documents of kindred character by courts administrative offices, banks as part of veteriary service. (See section 30 of the Act).

(1) Notwithstanding the existence of other similar and/or kindred documents such documents shall include :—

(a) A vaccination certificate for licensing of pets.

(b) A vaccination certificate for transport across border from one state to another.

(c) A vaccination certificate for export of animals.

(d) A soundness certificate for a horse or health certificate for cattle for the purpose of insurance, registration, etc.

(e) A certificate indicating results of tests (diagnotic) like tuberculin test.

(f) Post-mortem reports in vetrolegal cases, for purpose of insurance claims etc.

(g) Trauma certificate indicating the extent and nature of damage and/or deterioration, in veteo legal cases involving accidents, cruelty or vindication

(h) Birth certificates required at times for purposes of insurance, registrations, loans etc.

(i) A certificate indicating reproductive defects, diseases and other conditions rendering an animal uneconomic (fit for culling).

(j) A certifiiate for euthanasia where treatment is unlikely to be rewarding and; a certificate of performance of euthanasia.

(k) Quarantine clearance certificate for having cleared quarantine at places of disembarkation of animals/birds/livestock products.

(2) Any registered veterinary practitioner who shall be proved to have signed or given under his/her name and authority any such certificate, report or document of a kindred character which is untrue, misleading or improperly relating to the several matters, some of which are specified above, is liable to have his/her name erased from the Indian Veterinary Practitioners' Register.

(3) A registered veterinary practitioner shall maintain a Register of Veterinary Medical Certificates giving full details of certificates issued.

(4) When issuing such a certificate the identification mark of the patient, name or number, if any, age and other details including owner's name and keep a copy of the Certificate for record with him. The client's signature and/or thumb impression and a declaration that he is the genuine owner of the patient or is his authorised representative shall invariably be obtained.

4. Contravention of the provisions of law relating to drugs and regulations made thereunder.

5. Selling a drug or poison regulated by law to the public or his/her clients, save as provided by that law.

6. Performing, or enabling an unqualified person to, perform, any illegal operation for which there is no medical, surgical or psychological indication.

7. Affixing a signboard on a chemist's shop or in places where the veterinarain does not reside or work. This should not be construed to mean announcement, boards or direction indicators.

8. While displaying a board or a name plate, to write anything other than his/her name, qualifications obtained from a University or a statutory body, titles and names of his/her speciality if any (such name being the content of his/her prescription papers), and the registeration number.

9. Before euthanasia or before performing an operation not obtaining in writing the consent from the client.

10. Using touts or agents for procuring patients.

43. DISCIPLINARY COMMITTEES

There shall be a Disciplinary Committee charged with the duty of considering and determining :—

(a) Any case of indiscipline referred to them by State Veterinary Council or appeal by aggrieved registered veterinary practitioners.

(b) Any other case of which the Disciplinary Committee has cognisance.

44. The State Veterinary Council shall investigate, through Committee(s)/Sub Committee(s) (by fact-finding and receiving complaints), regarding :—

(a) Registered veterinary practitioners being convicted of any criminal offence which in the opinion of the committee renders unfit to practise veterinary profession.

(b) any such veterinarain detected/judged to have been guilty of disgraceful conduct in any professional respect.

(c) any person whose name is fraudulently entered in the register.

45. The State Veterinary Council(s) shall on receipt of complaints regarding any unregistered individual and individuals who while rendering minor veterinary services described under sub-section (b) of section 30 of the act, undertake unsupervised treatment/veterinary service assuming himself/himself to be a veterinarian, shall make necessary investigations and advise the concerned State government to take appropriate action or shall themselves initiate action under the law.

[No. 4-4/91-VCI/3]

PROF. (DR) RAMA KUMAR V., Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992